# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार** (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 010/2017 (GCMS 2017/00030) | 27.03.2017 | 10.03.2021 |

**अनवान**

1. किशनलाल पिता शंकरलाल जाति मेनारिया ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
2. डालचन्द पिता शंकरलाल जाति मेनारिया ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
3. गेहरीलाल पिता शंकरलाल जाति मेनारिया ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
4. प्रभुलाल पिता शंकरलाल जाति मेनारिया, ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

**अपीलान्टगण**

**बनाम**

नारायणलाल पिता हीरा जाति सरगडा, आयु वयस्क, निवासी किशन करेरी, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

**रेस्पोडेंट**

**–:: अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार डूंगला बमिसल कमांक 1/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 02–01–2017 ::–**

उपस्थिति :– श्री छोगालाल जाट — अधिवक्ता अपीलांट
श्री ललित लढ़ा — रेस्पोडेंट

**–:: निर्णय ::–**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांटस ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार डूंगला बमिसल कमांक 01/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक 02.01.2017 पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.01.2017 न्याय, नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अपीलान्टगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा किशन करेरी की खाता संख्या 176 में आराजी नम्बर 155, 156, 508, 562 अवस्थित है, उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 508 रकबा 0.69 हेक्टर जो रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है, आराजी नम्बर 508 जिससे अपीलान्टगण विपक्षीगण का किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं होते हुए विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे अपीलान्ट विपक्षीगण का कब्जा हटवाया जाकर कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को दिलाया जावे। इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये सम्मन नोटिस की पालना में अपीलान्ट विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए व अपनी ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थनापत्र रेरपोडेन्ट प्रार्थी का बार्ड–बाई लॉ होकर निरस्तनीय योग्य है, उक्त प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया न ही उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी जाकर निस्तारित किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रार्थी रस्पोडेन्ट स्वीकार किये जाने व उक्त आराजीयात का कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है। मौजा किशन करेरी तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 508 रकबा 0.69 हेक्टर भूमि खातेदार ने अपीलान्टगण के पिता शंकरलाल को संवत 2025 में 850/– रूपये विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। संवत 2025 से उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर अपीलान्टगण के पिता शंकरलाल व उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट स्वयं सयुंक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, इस तथ्य की ताईद अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मंगवायी गयी रिपोर्ट से भी ताईद होती है, व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर विगत 50 वर्षो से अपीलान्टगण व उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी कब्जा लेने का अधिकारी नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये कि अपीलान्टगण विपक्षीगण ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी नारायणलाल ने स्वयं उक्त आराजीयात अपीलान्टगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, ऐसी स्थिति में जबरन कब्जा करने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी उक्त आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से पैरवी हेतू अधिवक्ता नियुक्त किये गये, व उन्ही के द्वारा प्रकरण मे पैरवी की जा रही थी, व प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के जवाब हेतू नियत था कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जिसकी अपीलान्टगण को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.03.2017 को जानकारी पटवारी हल्का से हुई। दिनांक 09.03.2017 को उक्त निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तत्पश्चात विधि सलाहकार राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है, फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित फरमाये जाने हेतू प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम पेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की होने से अपील अपीलान्ट न्यायालय आप में पेश है। अपीलांट्स ने अपील मेमों के साथ प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से पैरवी हेतू अधिवक्ता नियुक्त किये गये व उन्ही के द्वारा प्रकरण मे पैरवी की जा रही थी, व प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के जवाब हेतू नियत था कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जिसकी अपीलान्टगण को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.03.2017 को जानकारी पटवारी हल्का से हुई। दिनांक 09.03.2017 को उक्त निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तत्पश्चात विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। 02.01.2017 से दिनांक 08.03.2017 तक की देरी निर्णय की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व विधिक सलाहकार से राय प्राप्त करने से हुई जिससे अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कन्डोन किया जाना न्यायोचित है, एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत में हुई समस्त देरी को कन्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे, अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जावेंगे। अन्त में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना की गई कि अपील बहक अपीलान्टगण विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.01.2017 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट की और से उनके अधिवक्ता ललित लढ़ा दिनांक 19.04.2017 को हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया। तहसीलदार डूंगला के पत्रांक/राजस्व/17/497 दिनांक 15.05.2017 से न्यायालय तहसीलदार डूंगला के प्रकरण संख्या 001/2016 निर्णय दिनांक 02.01.2017 अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवानी नारायणलाल बनाम किशनलाल वगैराह प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 14.06.2017 को अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रकरण में जवाब प्रार्थनापत्र, अपील मेमों नहीं पेश कर प्रकरण में सीधे बहस का निवेदन किया। दिनांक 07.08.2019 को प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 सुनी गई। इस पर न्यायालय द्वारा उभयपक्ष सुनवाई की जाकर अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को विस्तारित किया जाकर कण्डोन किया गया एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की गई।

दिनांक 10.03.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अपीलान्टगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा किशन करेरी की खाता संख्या 176 में आराजी नम्बर 155, 156, 508, 562 अवस्थित है, उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 508 रकबा 0.69 हेक्टर जो रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है, आराजी नम्बर 508 जिससे अपीलान्टगण विपक्षीगण का किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं होते हुए विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे अपीलान्ट विपक्षीगण का कब्जा हटवाया जाकर कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को दिलाया जावे। अपीलान्ट विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए व अपनी ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थनापत्र रेरपोडेन्ट प्रार्थी का बार्ड–बाई लॉ होकर निरस्तनीय योग्य है, उक्त प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया न ही उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी जाकर निस्तारित किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थनापत्र प्रार्थी रस्पोडेन्ट स्वीकार किये जाने व उक्त आराजीयात का कब्जा रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया। मौजा किशन करेरी तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 508 रकबा 0.69 हेक्टर भूमि खातेदार ने अपीलान्टगण के पिता शंकरलाल को संवत 2025 में 850/- रूपये विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। संवत 2025 से उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर अपीलान्टगण के पिता शंकरलाल व उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट स्वयं सयुंक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, इस तथ्य की ताईद अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मंगवायी गयी रिपोर्ट से भी ताईद होती है, व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर विगत 50 वर्षो से अपीलान्टगण व उनके पिता का कब्जा चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी कब्जा लेने का अधिकारी नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये कि अपीलान्टगण विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी नारायणलाल ने स्वयं उक्त आराजीयात अपीलान्टगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, ऐसी स्थिति में जबरन कब्जा करने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी उक्त आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इस पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात् ग्राम किशन करेरी में स्थित है। उक्त आराजी में से आराजी नं. 508 रकबा 0.69 हैक्टर जो कि प्रार्थी के मालिकाना हक से उसके खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पर विपक्षीगण ने पांच वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, नियमानुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति कब्जा बनायें नही रख सकता है। विपक्षीगण/अपीलांट ने जान बुझकर अपने ताकत के बल पर कब्जा बनाये रखा है जिस कारण प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजी उपयोग-उपभोग से वचिंत है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा विपक्षीगण/अपीलांट्स को उसकी आराजी संख्या 508 पर से सम्पूर्ण रकबे पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु विपक्षीगण/अपीलांट्स ने कोई कब्जा नही हटाया न हटाने हेतु तैयार हुए जिस कारण प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिकाव रहन, बक्षीश आदि स्वर्ण जाति को करने का अधिकार नही रहता, अगर ऐसा कोई दस्तावेज लिखा जाता है तो वह भी कानून की निगाह में शून्य होता है उससे कोई अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अधीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2017 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट जाति से सरगडा होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से मेनारिया/ब्राहम्ण होकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रेस्पोडेंट्स कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने तक के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलांट्स खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलांट्स ने बताया कि इस पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये कि अपीलान्टगण विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर लिया है जबकि रेस्पोडेन्ट प्रार्थी नारायणलाल ने स्वयं उक्त आराजीयात अपीलान्टगण को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, ऐसी स्थिति में जबरन कब्जा करने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं निराधार था, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थी उक्त आराजीयात का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के जवाब हेतु नियत था कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल थी, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की बिना सुनवाई, साक्ष्य शहादत का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिससे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा अपने प्रकरण संख्या 001/2016 निर्णय दिनांक 02.01.2017 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश निर्णय दिनांक 02.01.2017 में अंकन है, आदेशिका पर किसी भी प्रकार का आदेश का अंकन नहीं है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निस्तारित किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर विधिक निर्णय पारित किया जाना चाहियें।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदार रेस्पोडेंट है जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट जाति से सरगरा होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से मेनारिया/ब्राहम्ण होकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है, अतः उक्त धारा 183–बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के पिता व अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संवत् 2025 से है, जिसे प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को सम्वत 2025 के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा 1978 के पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जाशुदा अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का. अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है :–

**183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—**

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत **(person or persons entitled to admit trespasser as tenant)** था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली **"entitled to admit"** को विलोपित कर शब्दावली **"entitled to eject"** प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06. 1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183–बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये (A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority) है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से रेस्पोडेंट/प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर अपीलांट/अप्रार्थीगण काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। एक मात्र विचारणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा 2016 में प्रस्तुत धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है?

इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार डूंगला ने अपने निर्णय दिनांक 02.01.2017 में अपीलांट को अतिक्रमी माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलांट नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

**(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;**

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला की पत्रावली में पटवार हल्का किशन करेरी द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 29.12.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट विवादित आराजीयात पर काबिज है। पर्चा मौका उभय पक्षकारान के उपस्थिति में तैयार किया गया है, एवं पर्चा मौका के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के परिपेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य/शहादत अपीलांट्स को अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त प्रकरण में इस महत्वपूर्ण की पूर्णतया अनदेखी की गई है, क्योंकि उक्त प्रकरण में कब्जे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में न्यायलय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अपीलांट/अप्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहियें।

इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात करने पर हमारा ऐसा अभिमत है उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभयपक्ष का समुचित साक्ष्य के अवसर प्रदान नहीं किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार जहां अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2017 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

001/2016 निर्णय दिनांक 02.01.2017 में विधिक भूल/त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण तहसीलदार डूंगला को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार डूंगला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2017 प्रकरण संख्या 001/2016 अनवानी नारायण बनाम किशनलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार डूंगला को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्षकारान को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का अवसर देते हुऐ विश्लेषण किये गये तथ्यों के अनुसरण में विधिक निर्णय अज–सर्रे नव निर्णय पारित किया जावें।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:56:23 IST
Reason: SelfAttested